

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया ।

दीवानी वाद सं०- 37/17

15/03/2021

वादी अनुपस्थित है। प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से विद्वान ए०जी०पी० उपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लगातार तेरह तिथियों से वादी को यह निर्देशित किया जा रहा है कि वे प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु प्रकाशन की प्रक्रियां को पूरा करें। परंतु वे इस संदर्भ में कोई भी पैरवी नहीं कर रहे हैं, न ही अपेक्षाएं और प्रारूप दाखिल किया है।

अतः उनका यह वाद उनके अनुपस्थिति के चलते अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया ।